"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 जनवरी, 2003—माघ 1, शक 1924

राजस्व विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जनवरी 2003

शुद्धि-पत्र

क्रमांक 464/एफ 7-3/राजस्व/03.—छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-3/राजस्व/2002, दिनांक 1-4-2002 जो राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 71 दिनांक 1 अप्रैल, 2002 चैत्र-11, शक 1924 में प्रकाशित हुई है, में अधिसूचना की कण्डिका-3 की उप-कण्डिका नियम (7), (8), (9), (10) में लगे कोष्ठकों को विलोपित मान्य किया जाकर तद्नुसार नियम 7, 8, 9, 10 पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. तिवारी, अवर सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.